

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"6क	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति को अचल संपत्ति को किराए पर देकर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (v), के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति।

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित उपवाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

'(च) किसी "बीमा अभिकर्ता" का अभिप्राय वही होगा जो इसके लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के उपवाक्य (10) में दिया गया है।'

[फा. सं.354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

**नोट :-** प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा०का०नि० 685 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 34/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, सा०का०नि० 1277 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

#### No. 3/2018- Integrated Tax (Rate)

**G.S.R. 71(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, after serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"6A	Services supplied by the Central Government, State Government, Union territory or local authority by way of renting of immovable property to a person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).	Central Government, State Government, Union territory or local authority	Any person registered under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 read with clause (v) of section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.";

(ii) in the Explanation, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(f) “insurance agent” shall have the same meaning as assigned to it in clause (10) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).’.

[F. No. 354/13/2018- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 10/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, *vide* number G.S.R. 685 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 34/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 13th October, 2017 *vide* number G.S.R. 1277 (E), dated the 13th October, 2017.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

**सं. 4/2018- एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 72(अ.).—** एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को अर्थात् :-

(क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णतः या अंशतः विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर एकीकृत कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर या निर्माण कंपनी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

**No. 4/2018-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R.72(E).—**In exercise of the powers conferred by section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-

- registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and
- registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,